

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्र.जेपीडी/उपमुअ(आर.ई.एण्ड प्लान)/अ.अ(आरई)/अधि.अ.(आर.ई-प)/प.1201/प्रे. जयपुर,दिनांक 27.08.08

1165

आदेश

निगम से जारी आर.ई.ओ-190 दि. 29.03.08 व 191 दिनांक 02.04.08 में कृषि कनेक्शन जारी करने हेतु सभी श्रेणियों के 50 प्रतिशत मांग पत्र 15 अप्रैल 08 तक जारी करने का प्रावधान किया गया था, जो कि जारी किये जा चुके हैं।

यह निर्णय लिया गया है कि द्वितीय चरण के मांग पत्र दिनांक 15.09.08 से 30.09.08 तक जारी कर दिये जावें तथा इन आवेदन पत्रों को जमा कराने हेतु 90 दिन का समय आवेदकों को दिया जावें तथा 31.12.08 तक जमा मांग पत्रों के 1/3 कनेक्शन जनवरी 2009 में, 1/3 कनेक्शन फरवरी 2009 में तथा बकाया 1/3 कनेक्शन मार्च 2009 में जारी किये जावें।

उक्त आदेश तीनो विद्युत वितरण कम्पनियों पर लागू होंगे।

(एम.एल.गुप्ता)

उप मुख्य अभियन्ता (आर.ई.एण्डप्लान)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1-ऊर्जा सचिव,राजस्थान सरकार,जयपुर ।
- 2-प्रबन्ध निदेशक,अजमेर विद्युत वितरण निगम लि,अजमेर एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि.जोधपुर
- 3-निदेशक (तकनीकी/वित्त) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर ।
- 4-मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
- 5-सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (जयपुर/कोटा जोन) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/कोटा ।
- 6-प्रावेधिक सहायक,अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर ।
- 7-अधीक्षण अभियन्ता (पवस/जे.सी.सी./जेपीडीसी/प्लान/विधि) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. ।